आत आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग
(सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)

विषयः– सेवा नियमों को अद्यतन करने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक प0 1(1)कार्मिक/क–2/2020 दिनांक 30.03.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 23.03.2021 को विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से सेवा नियमों को अद्यतन करने हेतु मूल सेवा नियम एवं विविध सेवा नियमों में हुए संशोधनों को शामिल करते हुए सेवा नियम की अधिप्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2021 के द्वारा वांछित सूचना शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया था, लेकिन वांछित पूर्ण सूचना अभी तक अपेक्षित है।

अतः समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि मूल सेवा नियम जारी होने की दिनांक से आदिनांक तक विविध सेवा नियमों सम्बधी संशोधनों सहित समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए, नियम में यथा स्थान पर टंकित करवाकर फुटनोट अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ को विभागाध्यक्ष/संयुक्त शासन सचिव से अधिप्रमाणित कर, सी.डी. (निर्धारित अंग्रेजी में Times New Roman Font Size 12, हिन्दी में मंगल फोन्ट साईज–11) एवं उक्त संशोधनों सम्बधी अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां संलग्न कर अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उषा
(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव
21/2/22

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

अ0शा0 टीप क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क–2/2020
जयपुर दिनांक 22/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 17(1)नियम/विविध/13–14/266/301 दिनांक 17.01.22 के संदर्भ में।
3. सम्बधित विभागाध्यक्ष।
4. आई0 टी0 सैल, कार्मिक विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/2/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग
(सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)

क्रमांकः प. 1(1)कार्मिक/क–2/2020 जयपुर, दिनांक 30.03.2021

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

विषयः– सभी सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 23.03.2021 को आयोजित बैठक (विडियों कान्फ्रेन्स) में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैः–

1. विभाग के अधीन सभी सेवा नियमों की सूची बनाकर दिनांक 31.03.2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।
2. सेवा नियमों में आदिनांक हुए संशोधन की सूची तैयार कर दिनांक 31.03.2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।
3. सेवा नियम में सभी संशोधनों सहित अंग्रेजी व हिन्दी में साफ्ट प्रति तैयार करना (अंग्रेजी में Times New Rooman Font Size 12 एवं हिन्दी में मंगल फान्ट साईज 11)
4. सेवा नियम के किसी भी भाग में हुए अंतिम संशोधन को संबंधित जगह पर शामिल करते हुए टाईप करना।
5. सेवा नियम अंग्रेजी/हिन्दी की मुद्रित प्रति दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाना एवं साफ्ट प्रति मेल आई डी Rules.dop@rajasthan.gov.in पर मेल करना।
6. सेवा नियम की मुद्रित अंग्रेजी/हिन्दी दोनों का प्रत्येक पृष्ठ विभागाध्यक्ष/संयुक्त शासन सचिव से अधिप्रमाणित कर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना।

कृपया बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
4. सलाहकार, कार्मिक (क–2) विभाग (सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)।
5. आई.टी. सैल, कार्मिक विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव